राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या 81

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

क. वसूलियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

				1,									
		वास्तविक 2011-2012			ਕ ਤਟ 2012-2013			संशोधित 2012-2013			ਕ ਤਟ 2013-2014		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व		2.80	2.80		3.12	3.12		3.12	3.12		3.75	3.75
	पूंजी												
_	जोड़		2.80	2.80		3.12	3.12		3.12	3.12		3.75	3.75
उप-राष्ट्रपति													
1. सचिवालय	2012		2.80	2.80		3.04	3.04		3.09	3.09		3.67	3.67
2. अन्य	2012		•••			0.08	0.08		0.03	0.03		0.08	0.08
जोड़-उप-राष्ट्रपति		•••	2.80	2.80		3.12	3.12		3.12	3.12		3.75	3.75
कुल जोड़			2.80	2.80		<i>3.12</i>	3.12		<i>3.12</i>	<i>3.12</i>		<i>3.75</i>	<i>3.75</i>

1-2. यह मांग उपराष्ट्रपति सचिवालय के स्टाफ और अधिकारियों के यात्रा व्यय, आकस्मिक एवं विवेकाधीन अनुदान सिहत उपराष्ट्रपति के सचिवालय के स्टॉफ और अधिकारियों पर व्यय का प्रावधान है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मांग सं. 78 से प्रदान किया जाता है।